योजनाओं का पैसा दूसरी जगह खर्च

88 फीसद अनधिकृत कालोनियों में लटकी सीवर योजना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 जुलाई।

कालोनियों के लिए बनी योजनाओं का पैसा दिल्ली सरकार ने दूसरी योजनाओं पर खर्च किया है। इस वजह से दिल्ली की 88 फीसद अनधिकृत कालोनियों में 'सीवरेज मास्टर प्लान' सख्ती से लागू नहीं हो पाया है। ये गड़बड़ियां भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में सामने आई है। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में वर्ष 2020 की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में सरकारी तंत्र के कामकाज के तरीकों पर सवाल खड़े किए गए हैं।

कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि अनधिकृत कालोनियों में सीवर व पानी की सुविधाएं देने के लिए दो योजनाएं बनी थी। इन योजनाओं में इलाकों में पानी की आपूर्ति और सीवरेज सेवाएं तैयार करना था। जिसके लिए धनराशि शहरी विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। इस कार्य को जुलाई 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था। 2018–19 में बजट की सीमा को दिसंबर 2018 तक बढ़ा दिया गया था। जांच में सामने आया है कि इस धनराशि का प्रयोग विभागीय कर्मचारियों को अग्रिम नकद, विविध मरम्मत और रखरखाव जैसे कार्यों के लिए खर्च कर दिया था।

कैग रिपोर्ट बताती है कि शहरी विकास विभाग की अनुमति के बिना पूंजीगत संपत्ति के विकास के लिए प्राप्त सहायता अनुदान को अनियमित रूप से परिवर्तित किया गया और दूसरे उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया। इससे दिल्ली–2031 के लिए बने सीवरेज मास्टर प्लान के पहले चरण में 34 निर्माण कार्यों को 2016 तक पूर्ण किया जाना था लेकिन जुलाई 2018 तक केवल 11 निर्माण कार्य पूर्ण किए गए थे। योजना के तहत 20 निर्माण कार्य प्रगति पर थे तथा अब भी पूर्व निष्पादन स्तर पर थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018 तक

पानी की योजनाएं भी अधूरी : कैग रिपोर्ट में बताया कि 1,797 कालोनियों में दिसंबर 2018 तक पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य था लेकिन दिल्ली में 2013–18 के दौरान केवल 353 कालोनी में ही पानी की आपूर्ति हो गई। बाकी 567 कालोनियां ऐसी थी, जहां पर जल बोर्ड के टैंकर के मध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही थी, अन्य में कार्य प्रगति पर था। वहीं, पानी और सीवर की लाइन बिछाने का कार्य भी विभागों के बीच तालमेल नहीं है।

250 टैंकर में नहीं थे निगरानी उपकरण : पानी पहुंचाने के लिए जल बोर्ड द्वारा पानी के 250 टैंकर यानी कुल टैंकर के 38 फीसद में निगरानी उपकरण नहीं हैं। इनका उपयोग इन कालोनियों में पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा था। तय प्रावधानों के तहत इन पर जीपीएस, स्तर मीटर ओर क्लोरीन मीटर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी टैंकर इस व्यवस्था के बिना ही चल रहे थे।

नियमों का उल्लंघन : रिपोर्ट में सामने आया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग और वन विभाग की जमीन के लिए बनी जल आपूर्ति व सीवर की योजनाओं में शहरी विकास विभाग के नियमों का उल्लंघन हुआ है। जल बोर्ड ने इन दोनों ही विभागों की जमीनों पर पानी व सीवर लाइन डालने की योजना तैयार की और उसे लागू भी किया। यह शहरी विकास विभाग के निर्देशों का उल्लंघन है। ऐसी वन विभाग की 88 और 35 पुरातत्व विभाग से संबंधित कालोनियां थी।

1,797 अनधिकृत कालोनियों में से 1,573 अनाधिकृत कालोनियों में सीवरेज की सुविधा नहीं पहुंच पाई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि 1,573 अनधिकृत कालोनियों से निकलने वाला गंदा पानी और कचरा बह कर सीधे यमुना नदी में पहुंचा है।

श्रमिकों के लिए सिर्फ साढ़े पांच फीसद धनराशि खर्च

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 जुलाई।

कोरोनाकाल में बेरोजगार हुए लोगों की दिल्ली सरकार अधिक मदद कर सकती थी। ऐसे लोगों के लिए सरकार के पास योजनाओं का अभाव था और इस वजह से कल्याणकारी योजनाएं प्रभारी तौर पर लागू नहीं हो पाई। कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगे उपकर की राशि में से सरकार ने केवल 5.59 फीसद धनराशि का ही खर्च किया है।

दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपकर लगाया जाता है। रिपोर्ट में सामने आया है कि 2002 से 19 तक बोर्ड ने उपकर पर ब्याज और पंजीकरण शुल्क के तौर पर कुल 3,273.64 करोड़ की राशि प्राप्त की थी। तय प्रावधानों के तहत इस कर का प्रयोग केवल श्रमिक कल्याण योजनाओं पर ही किया जा सकता है।

दिल्ली सरकार ने नौकरी देने के नाम पर भ्रम फैलाया : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 जुलाई।

दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस ने दिल्लीवासियों को बरगलाने और भ्रम में रखने का आरोप लगाया है।

दिल्ली कांग्रेस का आरोप है कि नौकरी देने के नाम पर सरकार ने न केवल भ्रामक विज्ञापन दिए, बल्कि दिल्ली के युवाओं को रोजगार देने के नाम पर झूठ भी बोला गया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अनिल भारद्वाज ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। सरकार का दावा है कि लाखों युवाओं को नौकरी दी गई, लेकिन रोजगार निदेशालय के आंकड़े बताते हैं कि 440 सरकारी पद पर नियुक्ति की गई, जबकि 3,896 युवाओं को रोजगार बाजार पोर्टल के माध्यम से रोजगार मिले हैं। अनिल भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने, मनरेगा की तर्ज पर शहरी गांरटी रोजगार योजना के तहत कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए तुरंत प्रभाव से योजना बनाए।

kotak Kotak Mahindra Bank

परिसम्पत्तियों की ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री
कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी–27, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई, महाराष्ट्र, पिन कोड–400051
शाखा कार्यालय: 7वां तल, प्लॉट नं. 7, सेक्टर–125, नोएडा, उत्तर प्रदेश– 201313

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना

''निजी संधि'' द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली अधिनियम 2002, नियम 8(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में।

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जिसका 03.01.2022 को **कोटक महिन्द्रा बैंक लि.** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भैतिक कब्जा किया गया है, एस्सेल फाइनांस बिजनेस लोन लिमिटेड द्वारा उसके पक्ष में ऋण को सौंपने के उपरांत रु. 14,30,340/– की वसूली के लिये कुल रु. 1600000/– पर सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य निर्धारित करते हुए 7.6.2022 को **''जैसा है जहाँ है''**, **''जो कुछ भी वहाँ है''** तथा **''जो भी जैसा है आधार''** पर उसकी ई–नीलामी की गई थी तथा उक्त नीलामी विफल हो गई। उक्त प्रतिभूत सम्पत्ति की अब, रु. 1460997/–(रु. चौदह लाख साठ हजार नौ सौ सत्तानवे) तथा ऋण खाता सं. **LNDEL09517-180001149** के अंतर्गत 02.07.2022 से वसूली तक लागू ब्याज की ऋणधारकों श्री हेमन्त कुमार एवं श्रीमती आशा रानी से वसूली के लिये रु.1600000/– (रु. सोलह लाख मात्र) की आरक्षित मूल्य पर ''जैसा है जहाँ है'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है आधार'' निजी संधि द्वारा बिक्री की जा रही है।

यहाँ नीचे वर्षित सम्पत्ति के लिये रु.16,00,000/– (रु.सोलह लाख मात्र) की आरक्षित मूल्य का विचार करते हुए आम जनता से इच्छुक क्रेताओं को 25.07.2022 के 5 बजे अप. तक कोटक महिन्द्रा बैंक लि. (केएमबीएल) के पक्ष में देय दिल्ली एनसीआर में भुगतान योग्य प्रस्ताव मूल्य के 10% राशि के डीडी से शामिल मुहरबंद लिफाफे में आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करने के लिये आमंत्रित किया जाता है। प्रस्तावित बिक्री मूल्य के 10% की राशि का भुगतान में कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड की खाता में दिल्ली में एनईएफटी /आरटीजीएस द्वारा सम्प्रेषित किया जा सकता है अथवा **कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, खाता सं. 06410157020021 तथा आईएफएससी कोड– KKBK0000958, शाखा नरीमन प्वाइंट, मुम्बई,** शाखा कोड 0641 की खाता में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा किया जा सकता है।

प्रस्तावों से शामिल मुहरबंद लिफाफे को अंतिम तिथि के अगले तिथि के अगले कार्य दिवस में 11 बजे पूर्वा. में प्रस्ताव जमा किये होने वाले सभी व्यक्तियों की उपस्थिति में खोला जायेगा। यदि एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो एओ को प्रस्ताव जमा किये होने वाले व्यक्तियों के बीच इंटर–से बोली संचालित करने का अधिकार होगी। बिक्री के प्रस्ताव तथा प्रस्ताव मूल्य के 10% के डीडी से शामिल मुहरबंद लिफाफे को उनके कार्यालय के पते, कोटक महिन्द्रा बैंक लि., 7वां तल, प्लॉट नं. 7, सेक्टर–125, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201313 में एओ के पास जमा किया जायेगा। प्रस्ताव मूल्य के 10% के डीडी के बिना लिफाफे/प्रस्ताव पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जायेगा। यदि केवल एक प्रस्ताव हीं प्राप्त होता है तो ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति एओ की एकाकी इच्छा के अधीन होगी। प्रस्ताव स्वीकार होने की स्थिति में सम्पूर्ण स्वीकृत बिक्री मूल्य के भुगतान के शर्तों/अवधि पर स्वीकृति क्रेता तथा एओ के बीच पारस्परिक रूप से स्वीकृति के आधार पर निर्धारण होगा तथा सरफैसी अधिनियम के अनुरूप होगा।

सम्पत्तियों का विवरण : मकान सं.441, गली नं. 6, खसरा नं. 142, ग्राम भीम नगर, मुंबई, परगणा लोनी, गाजियाबाद, उ0प्र0 धरोहर राशि का भुगतान कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड खाता नं. 0641015702002 तथा आईएफएससी कोड–KKBK0000958, शाखा नरीमन प्वाइन्ट, मुम्बई, शाखा को 0641 की खाता में एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से अथवा '' कोटक महिन्द्रा बैंक लि.'' के पक्ष में देय दिल्ली एनसीआर में भुगतान योग्य डीडी के द्वारा किया जायेगा।

बिक्री के अधीन परिसम्पत्तियों से संबंधित किसी स्पष्टीकरण/अपेक्षा के लिये बोलीदाता **श्री राजेन्दर दहिया** (+91–8448264515), **श्री सोमेश सुन्द्रियाल** (+91–9910563402) **एवं श्री अशोक सोलंकी की** (+91– 73021608) **तथा श्री विवके कनोजिया** (+91–9205177091) से सम्पर्क का सकते है।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया लिंकः **https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html** देखें जो कोटक महिन्द्रा बैंक की वेबसाईट अर्थात– **www.kotak.com** एवं/अथवा **htttps://bankauctions.in/** देखे,

स्थान : गाजियाबाद, तिथि: 06.07.2022 **हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी,कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड**

दि कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
सी–29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
दूरभाषः 011–25611041, 25611042, 25611043, 25611044
ईमेलः legal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com, वेबसाइटः www.kangrabank.com

परिशिष्ट IV
[नियम 8(1) देखें]

आधिपत्य सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि,

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने ''दि कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लि.'', प्रधान कार्यालय सी–29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1916, चूना मण्डी, पहाड़ गंज, नई दिल्ली–110055 में है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम (3) के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, बैंक ने एक मांग सूचना दिनांकित 13.09.2021 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता एवं बंधककर्ता श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री रमेश कुमार निवासी एफ–94, डीटीसी कॉलोनी, शादीपुर पटेल नगर, दिल्ली–110006, यहां पर भी– श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री रमेश कुमार, एच–16/922, प्रथम तल, प्यारे लाल रोड, बापा नगर, करोल बाग, दिल्ली–110005 और श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री रमेश कुमार, सी–141, भूतल, सी–ब्लॉक, डीडीए जनता फ्लैट्स, न्यू रंजीत नगर, नई दिल्ली–110008 को और जमानतदार नामतः श्री. रमेश कुमार निवासी सी–141, भूतल, सी–ब्लॉक, डीडीए जनता फ्लैट्स, न्यू रंजीत नगर, नई दिल्ली–110008, और श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार निवासी सी–141, भूतल, सी–ब्लॉक, डीडीए जनता फ्लैट्स, न्यू रंजीत नगर, नई दिल्ली–110008, और श्री नितिन कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार निवासी सी–141, भूतल, सी–ब्लॉक, डीडीए जनता फ्लैट्स, न्यू रंजीत नगर, नई दिल्ली–110008, को भी सूचना में उल्लिखित राषि रु. 32,31,907/- (रुपए बत्तीस लाख इकतीस हजार नौ सौ सात मात्र) का, सूचना की तिथि से लेकर के भुगतान की तिथि तक समय–समय पर इस ऋण खाता हेतु लागू अनुसार भावी ब्याज, दांडिक ब्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऊपर वर्णित उधारकर्ता, बंधककर्ता एवं जमानतदार राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता, बंधककर्ता एवं जमानतदारों को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम (8) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत 02 जुलाई 2022 को भौतिक आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता, बंधककर्ता एवं जमानतदारों को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि बंधककृत संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन जो होगा, वह रु. 32,31,907/- की एक राशि तथा सूचना की तिथि से लेकर के वसूलीकरण की तिथि तक समय–समय पर इस ऋण खाता हेतु लागू अनुसार भावी ब्याज, दांडिक ब्याज एवं अन्य शुल्कों और उक्त राशि की वसूली करने में बैंक द्वारा उपगत समस्त लागतों हेतु ''दि कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लि.'' के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता, बंधककर्ता एवं जमानतदारों का ध्यानाकर्षण जो है वह निम्न वर्णित बंधककृत संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर भी आमंत्रित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

विचाराधीन सम्पत्ति जो है वह एक संपूर्ण निर्मित स्वामित्वधारक डीडीए जनता फ्लैट के रूप में है जो भूतल पर है।	निर्मित संपूर्ण स्वामित्वधारक डीडीए फ्लैट संख्या सी–141 के समस्त वह भाग तथा अंश, जो भूतल पर अधिसंरचना के साथ, ब्लॉक नं. सी, कैटेगरी जनता में न्यू रणजीत नगर पर स्थित हाउसिंग एस्टेट के लेआउट प्लान, अब डीडीए फ्लैट्स के रूप में अभिज्ञात, न्यू रणजीत नगर, नई दिल्ली–110008 में स्थित हैं, और जो उप–पंजीयक ।।–बसई दारापुर, दिल्ली के पंजीकरणाधीन पड़ता है।

(हरीश शर्मा)
प्राधिकृत अधिकारी
दि कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लि.
प्रधान कार्यालय सी–29, सामुदायिक केंद्र
पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली–58
दूरभाष सं: 9013568419, 9013568418

दिनांकः 02.07.2022
स्थानः दिल्ली

Jio

२० वर्ष और उससे भी दीर्घ कालावधि...
आप हमारे दिलों में निरंतर जीवित हैं।

रिलायंस आपके अटूट जज़्बे को सलाम करता है।

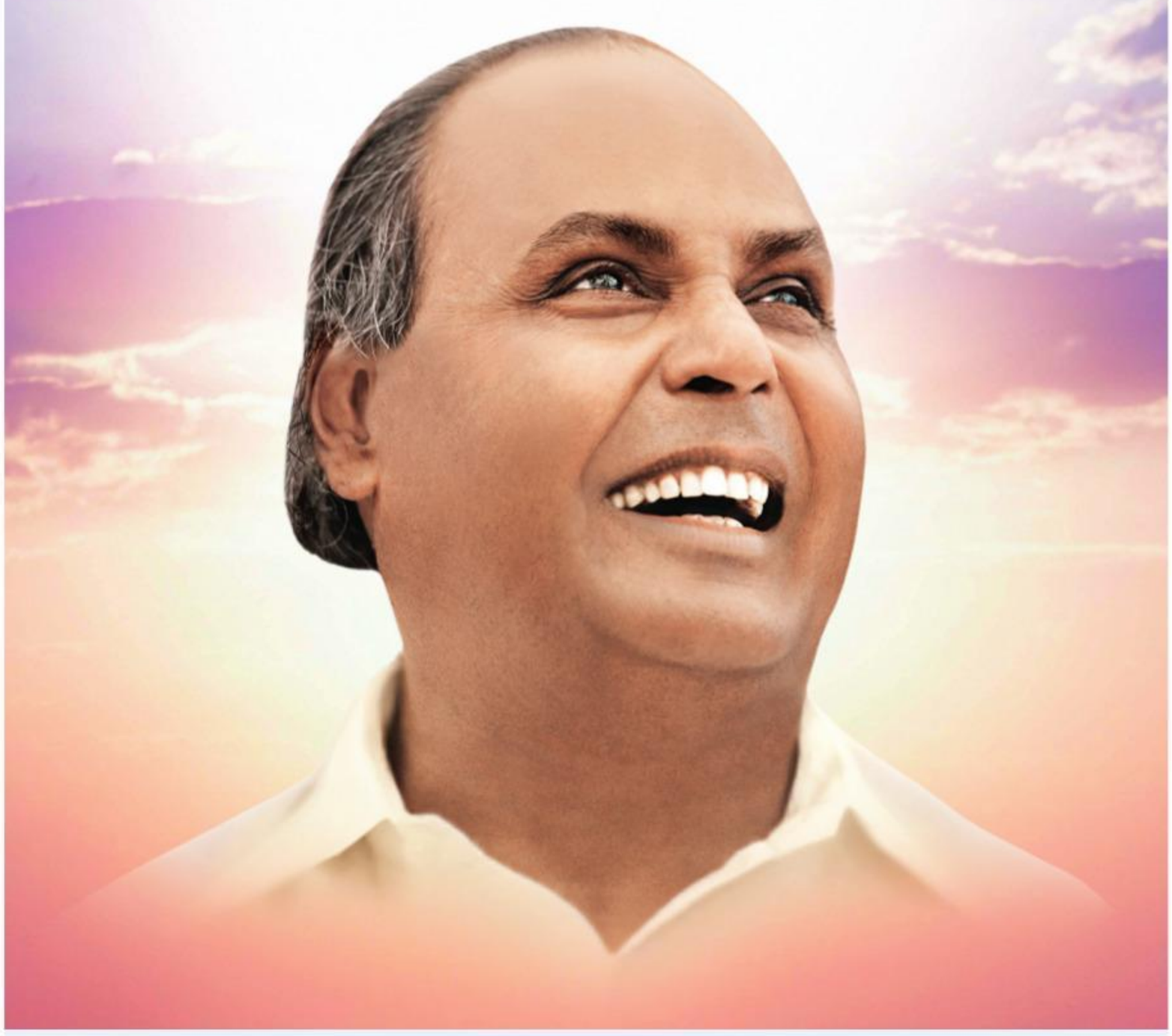

धीरुभाई हीराचंद अंबानी
(२८.१२.१९३२ - ६.७.२००२)
फाउंडर चेयरमैन - रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।।

आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु. वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा. वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है. शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता.
- भगवद् गीता (अध्याय २ - श्लोक २०)

स्नेहपूर्ण स्मरण में
कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी एवं परिवार

Reliance Industries Limited
Growth is Life

www.ril.com

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

कब्जा सूचना
(अचल/चल सम्पत्ति के लिए) (नियम–8(1))

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार/गारन्टर/बंधककर्ता का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता हैं

क्र. सं.	(ए) शाखा का नाम/ (बी) खाता का नाम/ (सी) ऋणी का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(ए) मांग नोटिस की तिथि (बी) सांकेतिक कब्जे की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया रकम
1.	(ए) शाखाः बॉम्बे बाजार (बी) मैसर्स रशीद अहमद (सी) मैसर्स रशीद अहमद (ऋणी), प्रो0 श्री रशीद अहमद एवं नाथू खां, पताः निवासीः मकान नं0 35, मखबरा डिग्गी, मेरठ, अन्य पताः दुकान नं0 2, जगन्नाथ पुरी टीपी नगर, मेरठ–250004, अन्य पताः मकान नं0 88 पुराना, नया 93, मखबरा डिग्गी, मेरठ सिटी। श्री वली मौहम्मद पुत्र छोटे खान (गारन्टर), श्याम नगर, माजिद नगर, मेरठ– 250002	प्राथमिक सम्पत्तिः दृष्टिबंधक सभी वर्तमान और चल सम्पत्तियां। संपार्श्विक सम्पत्तिः 1. मकान नं0 93, माप 51.64 वर्ग गज अर्थात् 43.18 वर्ग मीटर, स्थित मौहल्ला मखबरा डिग्गी, मेरठ, सम्पत्ति स्वामी रशीद अहमद पुत्र श्री नाथू खां, सीमाएँ:- पूर्वः असगर का मकान, पश्चिमः गेट एवं रास्ता, उत्तरः सम्पत्ति का गेट एवं मखबरा डिग्गी का रास्ता, दक्षिणः पूर्व कमरा सयुक्त 10 फीट 9 इंच दिवार फिर साइड सम्पत्ति की दीवार। 2. बंधक दुकान नं0 2, भूतल पर, माप क्षेत्रफल 14.86 वर्ग मीटर, खसरा नं0 1939, स्थित मौहल्ला- जगननाथपुरी, मेरठ सिटी, सम्पत्ति स्वामी रशीद अहमद पुत्र श्री नाथू खां, सीमाएँ:- पूर्वः 8 फीट/ डालचन्द की सम्पत्ति, पश्चिमः 8 फीट/ आम रास्ता, उत्तरः श्री विरेन्द्र कुमार की दुकान नं0 3, दक्षिणः 20 फीट/ श्री वली मौहम्मद की दुकान नं0 1।	(ए) 18.10.2021 (बी) 04.07.2022	रु0 12,17,105.22 + ब्याज दिनांक 01.10.2021 से + अन्य खर्चे

दिनांक–05.07.2022 स्थानः मेरठ प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक

www.readwhere.com